

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी)
की
स्थापना

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्थापना

1. पृष्ठभूमि

1985-90 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को की आउटरीच गतिविधि के रूप में दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर जमीनी स्तर पर व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा और क्षमता निर्माण के लिए जागरूकता प्रचार, पुनर्वास एवं पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन केन्द्र (डीडीआरसी) शुरू किए गए ।

वर्ष 1999-2000 से जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसीएस) को राज्य सरकारों से सक्रिय योगदान के लिए स्थापित किया गया था। जबकि राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को/डीडीआरसी ने 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को तकनीकी इनपुट और निधियों के माध्यम से सुविधा प्रदान की, राज्य सरकारों ने बाधामुक्त भवन उपलब्ध कराए और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम के माध्यम से राज्य की योजनाओं के साथ इसकी गतिविधियों के अभिसरण की निगरानी और सुविधा प्रदान की। उस समय इन केन्द्रों को तीन वर्षों के बाद जिला प्रशासन को सौंपने की योजना बनाई गई थी। लेकिन राज्य अपने संसाधनों से वित्तपोषण की पूर्ति करने के कारण इनके अधिग्रहण इच्छुक नहीं थे, योजना का वित्त पोषण दिव्यांगजन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)/दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया था। 2018-19 से, योजना का वित्तपोषण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) के अंतर्गत था। यह एक प्रमुख(अम्ब्रेला) योजना है जिसके अंतर्गत कार्यकलापों में सहायता के लिए स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीआरसी दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत 2020-21 से वित्त पोषित है, जिसके तहत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों में सहायता करने के लिए स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य निकायों को अनुदान जारी किए जाते हैं।

2. डीडीआरसी की स्थापना के उद्देश्य:

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) की स्थापना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को निम्नलिखित के माध्यम से पुनर्वासीय सहायता उपलब्ध कराना है -

- i. शिविरों के आयोजन के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान करना, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, बस के पासों की सुविधा और अन्य रियायतें/सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए जिले में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना।
- ii. दिव्यांगता की रोकथाम को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन, प्रारम्भिक पहचान और उपचार के साथ-साथ जिले आदि में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संगठनों के डाटा का रख-रखाव।
- iii. प्रारम्भिक उपचार और राष्ट्रीय न्यास/दिव्यांगजन विभाग द्वारा शुभारम्भ की गई बीमा योजना की सुविधा।

- iv. सहायक उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण, सहायक उपकरणों का प्रावधान/निर्धारण, सहायक उपकरणों की जांच/मरम्मत, जिले में सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एडिप/एलिम्को के शिविरों के आयोजन में सहायता करना।
- v. चिकित्सकीय सेवाएं अर्थात् फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, वाक् थेरेपी आदि।
- vi. शल्य चिकित्सा सुधार के लिए सरकारी और धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से परामर्श और व्यवस्था,
- vii. बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था,
- viii. दिव्यांगजनों, उनके माता-पिता और पारिवारिक सदस्यों को परामर्श देना,
- ix. बाधामुक्त वातावरण को बढ़ावा देना और विभाग के सुगम्य भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाना,
- x. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायक और मानार्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, विभाग की योजनाओं से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए दिव्यांग छात्रों की सहायता करना, पात्र दिव्यांगजनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण एवं दिव्यांगजनों को निम्नलिखित के माध्यम से रोजगार:—
 - क. शिक्षक, समुदाय और परिवारों को ओरियंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - ख. शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए दिव्यांगजनों को प्रारम्भिक प्रेरणा और प्रारम्भिक प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण देना।
 - ग. स्थानीय संसाधनों और डिजायनिंग को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रिक्तियों की पहचान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उपयुक्त रिक्तियों की पहचान करना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाया जा सके।
- xi. मौजूदा शैक्षणिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक संस्थानों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय संस्थानों एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए आउटरीच केन्द्र के रूप में कार्य करना।

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगताएं

पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित दिव्यांगताओं की सूची अनुबंध-1 पर है। दिव्यांगताओं की प्रतिशतता को निर्धारित करने संबंधी दिशा-निर्देश इस विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के पेशेवरों को शामिल करके डीडीआरसी के तहत सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को कवर किया जाएगा।

4. (i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए चिन्हित अनुमोदित जिले

क. जबकि डीडीआरसी की स्थापना के लिए प्रारंभ में 325 जिलों की पहचान की गई थी, लेकिन 9 दिसंबर, 2020 से सभी जिलों को विभाग की योजना के तहत डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

ख. प्रत्येक डीडीआरसी आस-पास के /नजदीकी पड़ोसी जिले के दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल कर सकता है और उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर सकता है यदि उस जिले में डीडीआरसी नहीं है।

(ii) डीडीआरसी के गठन के लिए प्रक्रिया:

(क) जिला प्रबंधन टीम का गठन (डीएमटी)

जिला कलेक्टर /जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम की निगरानी में प्रत्येक डीडीआरसी को चलाया जाना है और बेहतर समन्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों, कार्यान्वित एजेंसी के नोडल अधिकारी और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों /सार्वजनिक प्रतिनिधियों को भी शामिल करना है। राज्य सरकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमटी का संविधान अधिसूचित कर सकती है। यह टीम डीडीआरसी की संपत्ति का संरक्षक भी होगी।

(ख) डीएमटी के महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार है:-

- i. स्वास्थ्य विभाग के डीईआईसी औरध्या जिला मेडिकल कॉलेज/अस्पताल के समीप स्थान पर डीडीआरसी के स्थान का चयन
- ii. पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन।
- iii. श्रमशक्ति का चयन/तैनाती और उनकी नियुक्ति की शर्तों को अन्तिम रूप देना।
- iv. डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग, समन्वय।
- v. दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित जिलों में अन्य गतिविधियों के साथ अभिसरण।
- vi. डीडीआरसी की सम्पत्ति और विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई सामग्री की सुरक्षा, यदि कोई है।
- vii. जिला प्रबंधन टीम, महीने में एक बार और साल में कम से कम चार बार बैठक कर सकती है।

(ग) समन्वय – नोडल अधिकारी (डीडीआरओ)

- (i) डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग और समन्वयन के लिए डीएमटी में शामिल किए गए जिला कर्मचारियों में से अच्छे समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी अर्थात् जिला दिव्यांगता पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ) की पहचान की जाए।

(ii) डीडीआरओ दैनिक आधार पर डीडीआरसी के समन्वय, प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसे प्रतिमाह 2000/-रूपए की दर से मानदेय दिया जायेगा (विशेष क्षेत्रों के लिए 20 % अतिरिक्त मानदेय) ।

(iii) डीएमटी द्वारा डीडीआरसी चलाने के लिए उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान:

क. कार्यान्वयन एजेंसी में इन्हें प्रमुखता देनी चाहिए:

i. रेड क्रॉस सोसायटी

अथवा

ii. राज्य सरकार का कोई स्वायत्त/अर्ध स्वायत्त निकाय

अथवा

iii. अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाला प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जो डीडीआरसी के आरम्भ होने से लेकर उसके प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए ।

ख. कार्यात्मक रेडक्रॉस सोसायटियों/राज्य स्वास्थ्य विभाग की पंजीकृत एजेंसियों को अन्य गैर-सरकारी संगठनों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए । डीएमटी स्थानीय प्रचार के माध्यम से इच्छुक पंजीकृत संगठनों से प्रस्ताव मांग सकती है और तत्पश्चात् उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त संगठन की पहचान कर सकती है ।

ग. मौजूदा तंत्र के अलावा, राज्य शाखाओं के लिए मौजूदा कानून के तहत प्रत्येक जिले में प्रभावी ढंग से डीडीआरसी (कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में) चलाने के लिए एक राज्य स्तरीय निकाय/सोसायटी स्थापित करने हेतु विचार कर सकती है ।

(iv) डीडीआरसी के लिए आवास

(क) जिला प्राधिकरण को डीडीआरसी स्थापित करने के लिए किराया मुक्त आवास की पहचान और आवंटन करना चाहिए । इस बात को प्रमुखता दी जाए कि भवन बाधामुक्त हो, बिजली और पानी की सुविधा होने के साथ-साथ उसमें दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए सुगम्य हो। डीडीआरसी को दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अधिमानतः डीईआईसी केंद्र/मेडिकल कॉलेज/जिला(सिविल)

अस्पताल के उसी परिसर अथवा उसके समीप होना चाहिए। लगभग 400 वर्ग मीटर न्यूनतम स्थान की आवश्यकता है जिसमें कम से कम 7-8 कमरे होने चाहिए।

(ख) किराया मुक्त भवन की अनुपलब्धता के मामले में, डीएम/जिला कलेक्टर/पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उपयुक्त परिसर किराये पर लिया जा सकता है। परिसर के रख-रखाव का शुल्क (किराये पर अथवा अन्यथा) अनुदान के आकस्मिक खर्च शीर्ष के तहत निर्धारित राशि से पूरा किया जाएगा।

(v) डीडीआरसी के लिए स्टाफ:

(क) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्टाफ को संविदा पर नियुक्त करना। प्रत्येक डीडीआरसी के स्टाफ में विशिष्ट योग्यता रखने वाले अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार नियत मानदेय दिया जाएगा। पुनर्वास पेशेवर जिनके पास नोडल पंजीकरण एजेंसी के रूप में आरसीआई है, उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद (आसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। योजना में स्थायी पदों के सृजन की परिकल्पना नहीं है। तथापि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एसएसजेई, भारत सरकार किसी भी भर्ती, नियुक्ति, मानदेय और निष्कासन संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये डीएमटी की एकल जिम्मेदारी होगी। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जहां तक सम्भव है, कार्यान्वयन एजेंसी/डीएमटी द्वारा मानदेय/संविदागत आधार पर स्टाफ को नियुक्त किया जाना है:-

- i. मानदेय आधार पर कार्यरत सरकारी/जिला अस्पतालों के मौजूदा पेशेवर।
- ii. टोकन मानदेय के भुगतान पर कार्यरत सरकारी/जिला अस्पतालों के मौजूदा पेशेवर।
- iii. पूर्णतया संविदात्मक आधार पर कार्यरत पेशेवर और अन्य।

(ख) जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) आवश्यकतानुसार ऊपर के विकल्पों से किसी को अपनाने के साथ-साथ राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार टोकन मानदेय राशि की अनुशंसा कर सकती है।

(ग) राज्य सरकार डीडीआरसी की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए मानदेय और अन्य आवश्यकताओं की उपयुक्त पूरक हो सकती है। राज्य सरकार को डीएमटी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक निदेश और दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि डीडीआरसी स्वीकृत होने के तुरन्त बाद कार्मिकों को नियुक्त किया जा सके।

(vi) स्वीकार्य श्रमशक्ति, मानदेय की राशि और स्वीकार्य अनुदान।

(क) प्रत्येक डीडीआरसी में संविदा आधार पर नियत मानदेय और पूर्व निर्धारित योग्यताओं वाली निम्नलिखित श्रम शक्ति को नियुक्त किया जाना है। पुनर्वास पेशेवर जिनके पास नोडल पंजीकरण एजेंसी के रूप में आरसीआई है, उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद (आसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। डीडीआरसी के स्टाफ की सेवा-शर्तों का उत्तरदायित्व कार्यान्वयन एजेंसी पर होगा न कि केन्द्रीय सरकार पर।

(ख) पेशेवरों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार प्राप्त दौरे के आधार पर की जा सकती है लेकिन कम से कम 4 पेशेवरों/पुनर्वासकर्ताओं की नियुक्ति अनिवार्य है।

(ग) पेशेवरों के लिए अपेक्षित पद और योग्यताएं इस प्रकार हैं—

क्रम सं०	पद और योग्यताएं	मानदेय (रूपये में)	नीचे दिए गए नोट के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/राज्यों में डीडीआरसी के लिए मानदेय की 20% उच्चतर राशि
1	<p>क्लीनिकल मनोचिकित्सक/पुनर्वास मनोचिकित्सक</p> <p>क्लीनिकल मनोचिकित्सक</p> <p>क. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम०फिल०</p> <p>ख. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा।</p> <p>पुनर्वास मनोचिकित्सक</p> <p>क. पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम०फिल०</p> <p>ख. पुनर्वास मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा(पीजीडीआरपी)</p>	20500/850(प्रति दौरा)	24600/ 1020 (प्रति दौरा)
2	<p>वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट</p> <p>फिजियोथेरेपिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीपीटी</p> <p>ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट 01 अनिवार्य योग्यता बीओटी</p> <p>औचित्य -पीटी और ओटी दोनों पूरी तरह से अलग-अलग विषय हैं और दोनों की दिव्यांगता पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण और अलग-अलग भूमिकाएं हैं।</p>	20500/850(प्रति दौरा)	24600/1020 (प्रति दौरा)
3	<p>सीनियर प्रोस्थेटिस्ट /</p>	20500/850(प्रति दौरा)	24600/1020 (प्रति दौरा)

	<p>ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)</p> <p>योग्यता: आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक</p>		
4	<p>प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट तकनीशियन</p> <p>पात्रता: पी एंड ओ में डिप्लोमा या 3 साल के अनुभव के साथ पी एंड ओ में प्रमाण पत्र</p>	14500	17400
5	<p>ऑडियोलाजिस्ट और सीनीयर स्पीच थेरेपिस्ट</p> <p>पात्रता: ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएसएलपी) में स्नातक या बी.एससी स्पीच एंड हियरिंग</p>	20500/850 (प्रति दौरा)	24600/1020 (प्रति दौरा)
6	<p>श्रवण सहायक / जुनियर स्पीच थेरेपिस्ट –</p> <p>श्रवण यंत्रों की जानकारी / मरम्मत / कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा</p> <p>स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन</p> <p>पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस)</p> <p>ईयर.मोल्ड तकनीशियन</p> <p>पात्रता हियरिंग एयड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)</p>	14500	17400
7.	<p>गतिशीलता प्रशिक्षक</p> <p>दसवीं+गतिशीलता में सर्टिफिकेट / डिप्लोमा</p>	14500	17400

	पात्रता : अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एससी.) या दृष्टि बाधिता में डी.एड.विशेष शिक्षा / बी.एड. विशेष शिक्षा		
8.	बहु उद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट / समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) / समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	14500	17400
9.	लेखाकार सह लिपिक सह भण्डारी दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0काम0 / एसएसएस)	14500	17400
10	सहायक सह चपरासी सह संदेशवाहक (8वीं कक्षा उत्तीर्ण)	9500	11400
11	व्यावसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर सहायक पात्रता : व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर) / बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी) / पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)	14500	17400
12	प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट पात्रता: पीजीडीडीटी / पीजीडीईआई / बीएमआर / बीआरएससी / बीआरटी / एमआरएससी / एमएससीई-आई	14500	17400
13	ट्रांस-डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक (02 नंबर) दो पदों के लिए पात्रता: (3) श्रवण बाधिता में डीईडीएसई /बीईडीएसई	14500	17400

	(4) वीआई/आईडी/सीपी/एसडी/एम डी/डीबी/एसएलडी में डीईडीएसई /बीईडीएसई		
14	केयर गिवर पात्रता: सीसीसीजी/आरसीआई-सी सीसीजी/राष्ट्रीय न्यास या कक्षा VIII उत्तीर्ण जिसमें दिव्यांगजनों की देखभाल में 3 साल का अनुभव हो।	6250	7500

नोट:

(क) पूर्वोत्तर – राज्यों, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, साथ ही देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे किसी भी राज्य के जिले देश के शेष डीडीआरसी के संबंध में निर्धारित मानदेय से 20% से अधिक के हकदार होंगे ।

(ख) चिन्हित जिलों में डीडीआरसी को स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जहां प्रारम्भिक रूप में अनुकूल योग्यता वाले स्टाफ का मिलना मुश्किल हो सकता है । यदि योग्य पुनर्वास पेशेवर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है तब तक डीएमटी कम योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है, जब तक कि ऐसे पेशेवर उपलब्ध न हो जाए । तथापि, तकनीकी श्रमशक्ति के स्थान पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए ।

(ग) डीडीआरओ/नोडल अधिकारी (डीडीआरसी की गतिविधियों की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए डीएमटी में शामिल जिला कार्मिकों में से एक) को मानदेय के रूप में 2,000/-रूपए प्रति माह दिए जाएंगे (विशेष क्षेत्रों के लिए 20 % अतिरिक्त मानदेय)।

5 (i) स्वीकार्य सहायता अनुदान

डीडीआरएस के अंतर्गत एक डीडीआरसी के आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय का ब्योरा (ब्रेकअप) निम्नानुसार है:-

(रूपये लाख में)

मद	प्रतिवर्ष सहायता अनुदान	विशेष राज्यों/क्षेत्रों के लिए . 20% अतिरिक्त
कुल मानदेय	27.630	33.156

कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	05.250	05.250
उपकरण (प्रथम वर्ष अथवा 5 वर्षों के बाद)	20.000	20.000
प्रथम वर्ष का योग	52.880	58.406

नोट— दूसरे वर्ष से केवल मानदेय और कार्यालय व्यय आकस्मिक व्यय उसी दर से प्रदान किए जाएंगे।

(ii) योजना के तहत वित्त पोषण की व्यवस्था

डीडीआरसी को डीडीआरएस के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। जब तक ई-अनुदान पोर्टल पर डीडीआरसी के संबंध में एक अलग व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक ऑफलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत/स्वीकार किए जा सकते हैं।

वे सभी डीडीआरसी जिनके प्रस्ताव लगातार 2 वित्तीय वर्षों से विभाग में प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें गैर-कार्यात्मक माना जा सकता है और ऐसे डीडीआरसी के लिए सहायता अनुदान को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रोका जा सकता है।

(iii) डीडीआरसी को अनुदान सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी की जायेगी। किसी वित्तीय वर्ष में उसी वर्ष के अनुदान प्रस्ताव के पक्ष में अनुदान निम्न प्रकार से प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किया जा सकता है :-

(क) संस्था द्वारा अर्धवार्षिक लेखा परीक्षित खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का 50% तक जारी किया जा सकता है। शेष अनुदान राशी वार्षिक के लेखा परीक्षित खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

अथवा

(ख) संस्था द्वारा नौ-मासिक लेखा परीक्षित खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का 75% तक जारी किया जा सकता है। शेष अनुदान राशी वार्षिक के लेखा परीक्षित खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

अथवा

- (ग) संस्था द्वारा पर वार्षिक लेखा परीक्षित खातो (ऑडिटेड एकाउंट्स) के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य अनुदान राशी का 100% तक अगले वित्तीय वर्ष में जारी किया जा सकता है।

(iv) सहायता अनुदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता अनुदान के लिए सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सिफारिश के साथ भेजा जा सकता है जिसे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस विभाग को पूरे औचित्य के साथ अपनी सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनमें, अन्य के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

- i) डीएम/राज्य सरकार की सिफारिश
- ii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- iii) पीडब्ल्यूडी / आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र
- iv) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन
- v) कार्यान्वयन एजेंसी/डीडीआरसी की निरीक्षण रिपोर्ट
- vi) जिला प्रबंधन दल/कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रबंध समिति का विवरण
- vii) योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कर्मचारियों का विवरण
- viii) कार्यान्वयन एजेंसी/डीडीआरसी के लेखा परीक्षित खाते, कार्यान्वयन एजेंसी के समेकित लेखा परीक्षित खाते, लेखापरीक्षित मद-वार/पद-वार व्यय विवरण
- ix) कार्यान्वयन एजेंसी/डीडीआरसी की वार्षिक रिपोर्ट/प्रदर्शन रिपोर्ट
- x) पूर्व में जारी अनुदान सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र
- xi) बैंक विवरण, बांड इत्यादि

(v) वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मापदण्ड:-

समस्त केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सभी लेन-देन/भुगतान लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत कवर किया जाएगा। सहायता अनुदान की मांग करने वाले समस्त

गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से प्राप्त राशि को वितरित करने के लिए पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) माड्यूल का उपयोग करना और उसे अपडेट करते रहना आवश्यक है ।

(क) योजना के तहत सहायता अनुदान की मांग करने वाली डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वयं को नीति आयोग पोर्टल (एनजीओ-दर्पण पोर्टल) पर पंजीकृत कराना आवश्यक है और योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले एनजीओ – दर्पण का विशिष्ट आईडी प्राप्त करना आवश्यक है ।

(ख) मौजूदा दिशा-निर्देश/ प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, अन्य कोई दिशा-निर्देश, निर्देश, स्पष्टीकरण अथवा सरलीकरण जोड़ना अथवा हटाना, जिसे बाद में जारी किये जा सकते हैं जो विभाग द्वारा विभाग के सचिव के अनुमोदन से योजना में शामिल किये जाएंगे ।

(vi) डीडीआरसी द्वारा वित्तीय व्यवस्था का पालन किया जाना

(क) डीडीआरसी द्वारा परियोजना खातों का रख-रखाव

डीडीआरसी के स्टाफ सदस्यों के मानदेय का वित्तपोषण और आवश्यक उपकरण केवल डीडीआरसी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि एडिप योजना के तहत निर्माण के लिए सामग्री, सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है अतः अलग खातों का रख-रखाव किया जाए और संबंधित प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

(ख) डीडीआरसी के नाम से बैंक खाता खोलना:

डीडीआरसी के नाम से एक बैंक खाता खोला जाए और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा डीएमटी से नामित किए गए एक अधिकारी और अनुदान की प्राप्ति और खर्च चलाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से खाते का परिचालन किया जाए । डीएमटी द्वारा डीडीआरसी के लिए चिन्हित की गई कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है ।

(ग) खाते का रख-रखाव

डीडीआरओ के समग्र मार्गदर्शन और निरीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक कार्यान्वित एजेंसी द्वारा सहायक गतिविधियों के खर्च के लिए उपयुक्त खाता रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त, उपयुक्त खाता चलाने के लिए पहले से ही अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी अपने प्रत्येक डीडीआरसी के लिए अलग खाते का रख-रखाव करेगी। प्रत्येक जिले के नोडल अधिकारी विभाग को कार्यक्रम की गतिविधियों के संबंध में छमाही खाते प्रस्तुत करेंगे ।

(घ) डीडीआरसी योजना के अंतर्गत परियोजना के संबंध में ई-अनुदान पोर्टल पर अलग से प्रावधान किए जाने तक सहायता अनुदान के लिए प्रस्ताव ऑफलाइन प्रस्तुत/स्वीकार किया जाएगा।

6. मानदंडों में छूट देने की शक्ति

विभाग को अधिकतम मानदंडों से नीचे के मानदंड अपनाने का अधिकार सुरक्षित है जहां ऐसा करने का औचित्य है। इन मानदंडों पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से, सामान्य रूप से, असाधारण और योग्य मामलों में और विशेष रूप से, सिविकम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों के मामले में छूट देने के लिए भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते विभाग इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उचित और वैध आधार हैं। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

7 (i) राज्य सरकार की भूमिका

(क) राज्य सरकारों से डीडीआरसी के प्रभावी काम-काज के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। राज्य /जिला प्रशासन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार डीडीआरसी की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए डीडीआरसी के मानदेय और अन्य जरूरतों की उपयुक्त पूरक हो सकती है।

(ख) राज्य सरकारें जिला कलेक्टरों को डीडीआरसी योजना के व्यापक नियमों के अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, डीडीआरसी के प्रभावी कामकाज और उसमें मामूली संशोधन करने के लिए डीएमटी के अध्यक्ष की हैसियत के रूप में प्राधिकृत कर सकती है।

(ग) राज्य सरकार जिला कलेक्टरों को केन्द्रीय निधि के जारी करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के परिणामस्वरूप क्षेत्र में होने वाली कठिनाइयों पर काबू करने के लिए उनके अधीन निपटान हेतु प्रस्तुत स्थानीय निधियों से अंतरिम सहायता देने हेतु उन्हें प्राधिकृत कर सकती है।

(घ) मौजूदा तन्त्र के अतिरिक्त, राज्य सरकार मौजूदा कानून के तहत प्रभावी ढंग से डीडीआरसी (कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में) को चलाने के लिए प्रत्येक जिले में शाखाएं खोलने हेतु एक राज्य स्तरीय निकाय/सोसायटी स्थापित करने पर भी विचार कर सकती है।

(ii) एलिम्को और विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका-उपकरण/श्रमशक्ति का प्रशिक्षण

(क) कार्यात्मक डीडीआरसी के लिए अपेक्षित उपकरण

सभी प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित सहायक उपकरणों के निर्माण और फिटमेंट के लिए उपकरणों को योजना के उपकरण शीर्ष के अंतर्गत दिए गए अनुसार खरीदा जाना है । इन उपकरणों की श्रेणी में बिजली का ओवन, कार्यशाला स्तम्भ, फिजियोथेरेपी उपकरण, क्लीनिकल आडियोमीटर, वाक प्रशिक्षक, कार्यशाला उपकरण और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, यूडीआईडी परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ कार्यालय उपकरण होंगे । केवल प्रथम वर्ष में प्रति डीडीआरसी के लिए 20 लाख रूपए तक का कुल उपकरण अनुदान होगा और 5 वर्ष के बाद आगे संशोधन, यदि कोई हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है । उपकरणों के ब्यौरे अनुबंध-V पर सूचीबद्ध है ।

ये उपकरण विभाग के अंतर्गत – एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम – भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) लखनऊ रोड, कानपुर से खरीदे जा सकते हैं । यदि एलिम्को इन उपकरणों की आपूर्ति/उपलब्धता कराने की स्थिति में नहीं है तो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीएमटी की निगरानी में इन उपकरणों की खरीद की जा सकती है ।

(ख) दिव्यांगजनों के लिए – निर्धारित उपकरणों के साथ-साथ सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए कच्चा माल

विभाग की एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों और यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति की जाएगी ।

डीडीआरसी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय की लेखा परीक्षित विवरणिका, लाभार्थियों की सूची, खरीदे गए अथवा दिव्यांगजनों में वितरित किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों का विवरण एवं इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से गतिविधियों के कैलेंडर सहित वार्षिक रूप से प्रस्ताव जमा कराने चाहिए ।

(ग) सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की मरम्मत/अनुवर्ती कार्रवाई डीडीआरसी द्वारा की जानी है । यदि किसी सहायता/प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो इसे एलिम्को/एनआई द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए ।

(iii) राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों की भूमिका (उनको आवंटित राज्यों के अनुसार)

(क) राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण/डीडीआरसी के समन्वय के साथ डीडीआरसी की श्रमशक्ति, दिव्यांगता से संबंधित कार्य से जुड़े राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण ।

(ख) राष्ट्रीय संस्थानों को पाठ्यक्रम माड्यूल सहित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना है और उसे अनुमोदन के लिए विभाग में जमा कराना है ।

(ग) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसी के स्टाफ् को राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए ओरियेंटेशन और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि गतिविधियों को अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके ।

(घ) राष्ट्रीय संस्थान राज्य/जिला/डीडीआरसी प्राधिकरण के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करेंगे:-

i. जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला –

दिव्यांगता मामलों के प्रति संवेदीकरण, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, डीडीआरसी योजना और उनके माध्यम से प्रभावी प्रतिपादन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना ।

ii. कार्यान्वयन एजेंसी और समाज कल्याण अधिकारियों के नोडल अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण –

डीडीआरसी योजना, एडिप, डीडीआरएस के अंतर्गत प्रस्तावों को आगे बढ़ाना, खातों और अन्य अभिलेखों का रख-रखाव, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, रियायतें और योजनाएं एवं महत्वपूर्ण रेफरल पते ।

iii. डीडीआरसी में तकनीकी और व्यावसायिक श्रमशक्ति के लिए 15 दिनों तक सेवाकालीन प्रशिक्षण –

विशेष रूप से प्रारम्भिक उपचार और फोलो अप, उपचार और पुनर्वास की नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ।

iv. सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए विशेष पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम जिनमें डीडीआरसी की कम अर्हता प्राप्त श्रमशक्ति के लिए 6 माह से 01 वर्ष के सैंडविच कार्यक्रमों सहित सेतु पाठ्यक्रम:-

- सम्प्रेषण कौशल और शिक्षण सामग्री निर्माण पर कार्यशाला ।
- तकनीकी स्टाफ और बहुउद्देशीय कर्मचारियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव ।
- समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी)/राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर दौरे और अत्युत्तम कार्य करने वाले डीडीआरसी जिन्हें सर्वोत्तम प्रथा के रूप में दर्शाया जा सकता है ।

(ङ.) डीडीआरसी की कम अर्हता प्राप्त श्रमशक्ति की कौशल में सुधार लाने के लिए 01 से 3 दिन तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक सप्ताह से 15 दिन तक की संवेदीकरण कार्यशालाएं और 01 वर्षीय सैंडविच पाठ्यक्रम के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित होंगे, जबकि प्रतिभागी वरिष्ठ सरकारी

अधिकारियों जैसे सचिव /निदेशक /जिला कलेक्टरों से लेकर जिला कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारियों से लेकर पेशेवरों और डीडीआरसी में तैनात की गई श्रमशक्ति आदि से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

(च) डीडीआरसी की श्रमशक्ति के प्रशिक्षण के लिए लागत व्यापक रूप से निम्नानुसार आधारित होगी:-

- डीडीआरसी की श्रमशक्ति को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जाने के संबंध में यात्रा, आवास-भोजन खर्च डीडीआरसी के अंतर्गत जारी किए गए सहायता अनुदान के आकस्मिक शीर्ष से पूरे किए जाएंगे जबकि प्रशिक्षण लागत को सम्बद्ध राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।
- डीडीआरसी योजना के व्यापक ढाँचे में, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चलाये जा रहे डीडीआरसी जिला प्रबंधन टीम की समग्र देख-रेख में योजना के प्रावधानों के अनुसार, श्रमशक्ति के चयन के मामले में स्वतंत्र होंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग के परामर्श से निर्धारित शर्तों में राज्य स्वामित्व में वृद्धि, प्रभावी काम-काज, राज्य/जिला प्राधिकारी के अंतर्गत डीडीआरसी को सहायता अनुदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में मामूली संशोधन अनुमेय है।

8. डीडीआरसी की कार्य योजना

डीडीआरसी की कार्य योजना व्यापक रूप से निम्नानुसार आधारित होगी:-

- (क) दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और जिले में उनकी जरूरतें - प्रतिमाह 10-15 गांव।
(ख) मुख्यालय पर /सिविल अस्पताल में आवधिक रूप से मूल्यांकन शिविर।
(ग) ब्लाक में आवधिक अन्तराल पर मूल्यांकन सह वितरण शिविर।
(घ) जागरूकता सृजन कार्यकलाप जैसे विद्यालयों के दौरे/विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए गांवों में जागरूकता शिविर/आवधिक अन्तराल पर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(ङ.) आवधिक अन्तराल पर गाँवों/ब्लॉकों में अनुवर्ती शिविर।

9(क) दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण

प्रारम्भिक योजना के लिए, दिव्यांगता पर जिला आंकड़ों का विवरण, यदि उपलब्ध हों, डीडीआरसी को स्थानान्तरित किया जा सकता है अर्थात् प्रत्येक गांव के दिव्यांगजनों का डाटा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/अन्य निचले स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे आशा से उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसी को डाटा संग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव व्यवस्था के चयन के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करना चाहिए।

(ख) सहायक उपकरणों का मूल्यांकन/फिटमेंट/अनुवर्ती और मरम्मत

मूल्यांकन/ फिटमेंट

सहायक उपकरणों का वास्तविक फिटमेंट जिला केन्द्रों की प्रमुख गतिविधियों में से एक होगा। शिविर दृष्टिकोण और संस्थागत दृष्टिकोण के मिश्रण को सहायक उपकरणों के फिटमेंट के उपयोग में लाया जाना चाहिए। सामग्री/सहायक उपकरणों के खर्च को एडिप योजना से पूरा किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी एडिप योजना के अनुसार समुचित व्यवस्था करने और खातों के रख-रखाव के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:-

- कार्यान्वयन एजेंसी को सहायक उपकरणों की आवश्यकता पर सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।
- जबकि कार्यान्वयन एजेंसी तकनीकी आदान, संगठनात्मक और लाजिस्टिक्स प्रदान करती है।
- सभी दिव्यांगजनों की संख्या और अपेक्षित सहायक उपकरणों के प्रकार के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।
- मूल्यांकन, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से सतत आधार पर और शिविर के समय विचारणीय बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों से किया जाए।
- यह मूल्यांकन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू), स्वास्थ्य कर्मचारी, पैरा टीचर्स नरेगा पंचायती राज संस्थान स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों के सहयोग से करना चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी को लोगों को उपलब्ध कराई गई सहायक उपकरणों, उनकी सही और तत्काल मरम्मत को सख्त अनुवर्ती प्रयास के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए।
- जिला केन्द्र को सहायक उपकरणों के लिए मरम्मत सेवाएं, अनुकूलन और अनुवर्ती उपलब्ध कराये जाने चाहिए। सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए नाम मात्र शुल्क, जो विभिन्न उपकरणों और मरम्मत के प्रकार के लिए अलग-अलग लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए।
- जिन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों प्रदान की गई हैं, उनको जिला केन्द्र पर उपलब्ध अनुवर्ती/ मरम्मत/प्रशिक्षण सेवाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए।
- दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के प्रभावी और सही इस्तेमाल और चिकित्सकीय सेवाओं के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें स्थानीय भाषा में उपकरणों के उपयोग और मरम्मत के लिए रेखाचित्र/चित्रों वाले पैम्पलेट के रूप में निर्देश भी दिए जाएं।
- डीडीआरसी में कार्यरत मरम्मत करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण में एलिम्को/एनआई द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(ग) रोकथाम का प्रचार:

रोकथाम का विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे अंधता, कुष्ठ रोग आदि के साथ-साथ विभिन्न दैनिक टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो आदि की रोकथाम के कार्यक्रमों, के माध्यम से प्रचार किया गया है। इन कार्यक्रमों को न केवल मृत्यु दर की रोकथाम बल्कि दिव्यांगता की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अतः जिला केन्द्रों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं एवं दिव्यांगता की रोकथाम के मध्य रोकथाम के प्रचार के लिए सूचना को संशोधित करने की जरूरत है। समुचित आहार-पोषण की कमी भी दिव्यांगता के मुख्य कारक के रूप में जानी जाती है। दिव्यांगता की रोकथाम का दूसरा प्रमुख पहलू पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वच्छ जीवन यापन की स्थिति है, जिसे जिला केन्द्रों के माध्यम से प्रसारित करने की जरूरत है।

जिला केन्द्रों को दिव्यांगताओं की रोकथाम के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी जानकारी को एकत्रित और जांचने एवं स्थानीय स्थितियों पर निर्भर सर्वाधिक उपयुक्त रूप और विधि द्वारा जानकारी का प्रसार करने की जरूरत है।

अतः, जिला केन्द्रों को रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:-

- रोकथाम के क्षेत्र में कार्य करने वाले एडब्ल्यूडब्ल्यू, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों का अभिसरण।
- कार्यान्वयन एजेंसियों के पास रोकथाम और प्रारम्भिक उपचार पर उपलब्ध जानकारी का स्थानीय भाषा में वितरण करना और प्रचारित करना।
- कायान्वयन एजेंसी दिव्यांगता की पहचान, बचाव और शुरुआत में ही उसे पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईसीडीएस कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सीबीआरडबल्यूएस सहित निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- जापानी इंसेफेलाईटिस (जेई)/एक्यूट इंसेफेलाईटिस (एईएस) की अधिक घटना होने वाले क्षेत्रों में स्थापित और कार्यरत जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र में राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ईस्ट रोड, मुल्लुकडु, कांचीपुरम, तमिलनाडु के बहु दिव्यांगता घटक अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

(घ) प्रारंभिक उपचार

गौण (सकेन्दरी) दिव्यांगताओं के बचाव और सभी स्तरों पर दिव्यांग बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगता की प्रारम्भिक पहचान और प्रारम्भिक उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक डीडीआरसी को एक उपचार इकाई स्थापित करना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग से कम लागत वाले उपचार का उन्हें उनके निवास-स्थान पर उपचार जारी रखने का सुझाव दिया जाना चाहिए।

(ड.) बाधामुक्त वातावरण

- बाधामुक्त वातावरण का प्रावधान दिव्यांगजनों को सुगम्य पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सहायक उपकरणों का दूसरा महत्वपूर्ण पूरक है ।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित उपनियमों के सुसंगत मानक के अनुसार, सभी नये भवन, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोगिता वाले भवन, उदाहरणार्थ – विद्यालय और छात्रावास, पंचायत और अन्य सरकारी भवन, अस्पताल, बाजार, बस-स्टैंड, पार्क, सार्वजनिक शौचालयों को बाधामुक्त बनाया जाना है ।
- उनका मूल उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारों पर होना चाहिए ।
- कलेक्टर, जिला अस्पताल, स्थानीय बस अड्डे, कॉलेजों और विद्यालयों जैसी सार्वजनिक भवनों को शुरुआत से ही बाधामुक्त सुगम्यता में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।
- भवनों को बाधामुक्त सुगम्यता में परिवर्तन करने के लिए वित्तीय सहायता स्थानीय सरकार निधि और/अथवा एमपीएलएडीस से पूरी की जाए ।
- जिला केन्द्रों को कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम होना अनिवार्य है ।

(च) शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण/प्लेसमेंट को बढ़ावा देना

शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार पुनर्वास के महत्वपूर्ण घटक है ।

- कार्यान्वयन एजेंसी को शिक्षकों/समुदायों/परिवारों के लिए ओरिएंटेशन – प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ।
- ये उपयुक्त व्यवसायों, सम्भव जॉब प्लेसमेंट और अन्य सुविधाओं जैसे एनएचएफडीसी के माध्यम से सॉफ्ट व्रण, वीआरसी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं ।
- कम से कम 6 महीनों में एक बार 03 दिनों से लेकर एक सप्ताह तक का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ।

10. निष्पादन रिपोर्ट

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानिट्रिंग और मूल्यांकन ऊपर सूचीबद्ध गतिविधियों और उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाएगा ।
- वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (अनुबंध – VII पर प्रपत्र के अनुसार) आगामी वित्त वर्ष की कार्य-योजना सहित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाए ।
- मंत्रालय प्रतिवर्ष नमूना आधार पर बाहरी एजेंसी द्वारा मूल्यांकित इन जिला केन्द्रों के काम-काज की जानकारी ले सकता है ।

- डीडीआरसी के तहत अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को प्रभावी निगरानी के लिए कर्मचारियों की बायो-मीट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि जैसी रिपोर्ट, सीपीएमयू या विभाग द्वारा पूछे गए दस्तावेजों को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगताएं:

1. शारीरिक दिव्यांगता—

(अ) गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत—

(क) “कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है—

(i) हाथ या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है और “कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(ख) “प्रमस्तिष्क घात” से कोई गैर-प्रगामी तंत्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पैशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) “बौनापन” से ऐसी कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट इस इंच (147 से.मी.) या उसके कम रह जाती है।

(घ) “पेशीयदुष्पोषण” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ङ.) “तेजाबी आक्रमण पीड़ित” से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंक कर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत हास

(क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, -

(i) दृष्टि का पुर्णतया अभाव; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता $3/60$ से कम या $10/200$ (स्नेकलन) से कम; या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:-

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ $6/18$ से अनधिक या $20/60$ से कम से $3/60$ तक या $10/200$ (स्नेकलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ) "श्रवण शक्ति का ह्रास"-

(क) "बधिर"- से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों (स्पीच फ्रीक्वेन्सी) में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति " से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों (स्पीच फ्रीक्वेन्सी) में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई) "वाक और भाषा दिव्यांगता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. "बौद्धिक दिव्यांगता" से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी है;

(ख) “स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार—

“मानसिक रूग्णता ” से चिंतन, मनोदशा, बोध, ओरिएंटेशन या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—

(i) “बहु-स्केलेरोसिक” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष (नर्व) तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ श्रतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प , पेशी कठोरता ओर धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्होकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के हास से संबद्ध मध्य आयु ओर वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

(ख) रिक्त विकृति—

(i) “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता की हानि है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घात रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं ओर अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; "हेमोलेटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. **बहुदिव्यांगता** (उपरयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित हास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

दिनांक 05.02.2019 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 11 राज्यों में 90 जिलों को देश के वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है, सूची इस प्रकार है:

आंध्र प्रदेश	128. <u>नारायणपुर</u>	उड़ीसा
91. <u>पूर्वी गोदावरी</u>	129. <u>राजनंदगांव</u>	162. <u>अंगुल</u>
92. <u>गुंटूर</u>	130. <u>धमतरी</u>	163. <u>बारगढ़</u>
93. <u>श्रीकाकुलम</u>	131. <u>महासमुंद</u>	164. <u>बोलंगीर</u>
94. <u>विशाखापत्तनम</u>	132. <u>गरियाबंद</u>	165. <u>बौध</u>
95. <u>विजयनगरम</u>	133. <u>सुकमा</u>	166. <u>देवगढ़</u>
96. <u>पश्चिम गोदावरी</u>	134. <u>कोडागांव</u>	167. <u>कालाहांडी</u>
तेलंगाना	झारखंड	168. <u>कंधमाल</u>
97. <u>आदिलाबाद</u>	135. <u>बोकारो</u>	169. <u>कोरापुट</u>
98. <u>भद्राद्रीकोठागुडेम-</u>	136. <u>छत्र</u>	170. <u>मल्कानगिरी</u>
99. <u>जयशंकरभूपलपल्ली-</u>	137. <u>धनबाद</u>	171. <u>नबरंगपुर</u>
100. <u>खम्मम</u>	138. <u>दुमका</u>	172. <u>नयागढ़</u>
101. <u>कोमारामभीम-</u>	139. <u>पूर्वी सिंहभूम</u>	173. <u>नुआपाड़ा</u>
102. <u>मनछेरियन</u>	140. <u>गढ़वा</u>	174. <u>रायगढ़</u>
103. <u>पेद्दापल्ले</u>	141. <u>गिरिडीह</u>	175. <u>संभलपुर</u>
104. <u>वारंगल ग्रामीण</u>	142. <u>गुमला</u>	176. <u>सुंदरगढ़</u>
बिहार	143. <u>हजारीबाग</u>	उत्तर प्रदेश
105. <u>अरवाल</u>	144. <u>खूंटी</u>	177. <u>चंदौली</u>
106. <u>औरंगाबाद</u>	145. <u>कोडरमा</u>	178. <u>मिर्जापुर</u>
107. <u>बांका</u>	146. <u>लातेहार</u>	179. <u>सोनभद्र</u>
108. <u>पूर्वी चंपारण</u>	147. <u>लोहरदगा</u>	पश्चिम बंगाल
109. <u>गया</u>	148. <u>पलामू</u>	180. <u>झारग्राम</u>
110. <u>जमुई</u>	149. <u>रामगढ़</u>	
111. <u>जहानाबाद</u>	150. <u>रांची</u>	
112. <u>कैमूर</u>	151. <u>सिमडेगा</u>	
113. <u>लखीसराय</u>	152. <u>सरायकेलाखरसवान-</u>	
114. <u>मुंगेर</u>	153. <u>पश्चिमी सिंहभूम</u>	
115. <u>मुजफ्फरपुर</u>	केरल	
116. <u>नालंदा</u>	154. <u>मलप्पुरम</u>	
117. <u>नवादा</u>	155. <u>पलक्कड</u>	
118. <u>रोहतास</u>	156. <u>वायनाड</u>	
119. <u>वैशाली</u>	मध्य प्रदेश	
120. <u>पश्चिम चंपारण</u>	157. <u>बालाघाट</u>	
छत्तीसगढ़	158. <u>मंडला</u>	
121. <u>बालोद</u>	महाराष्ट्र	
122. <u>बलरामपुर</u>	159. <u>चंद्रपुर</u>	
123. <u>बस्तर</u>	160. <u>गडचिरोली</u>	
124. <u>बीजापुर</u>	161. <u>गोंदिया</u>	
125. <u>दंतेवाड़ा</u>		
126. <u>धमतरी</u>		
127. <u>कांकेर</u>		

नोट :- यह सूची दिनांक 05.02.2019 को अद्यतन की जाएगी।

राज्य के चिन्हित और अनुमोदित जिले में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष हेतु सहायता अनुदान के प्रस्ताव हेतु आवेदन-पत्र ।

1. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर आवंटित विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, यदि पूर्व में पंजीकृत नहीं है तो <http://ngodarpan.gov.in> पर पंजीकरण करें ।
2. राज्य और जिले का नाम जहां डीडीआरसी स्थापित / काम-काज किया जाना है
3. (क) क्या जिला प्रबंधन टीम का गठन किया गया है: हां / नहीं
(ख) यदि हां, डीएमटी के गठन का आदेश संलग्न करें: संलग्न
(ग) डीएमटी की पिछली बैठक के आयोजन की तिथि
(घ) क्या डीएमटी के बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है संलग्न
4. (क) क्या उपयुक्त कार्यान्वित एजेंसी की पहचान की गई है: हां / नहीं
(ख) कार्यान्वित एजेंसी के ब्यौरे
(i) एजेंसी का नाम
(ii) पता
(iii) दूरभाष / फ़ैक्स संख्या
(iv) ई-मेल / आई डी
(v) आईए का पैन / टिन / टैन नं० (कोई एक)
5. क्या एजेंसी पंजीकृत है.
(क) यदि हां, अधिनियम का नाम जिसके तहत पंजीकृत हुई है:
(ख) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख:
(ग) क्या एजेंसी के पास वैध पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र है: (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. संस्था के बहिर्नियम और एजेंसी के उप-नियम (बाए लॉज) (कृपया प्रति संलग्न करें)
7. डीडीआरसी के लिए आवास के ब्यौरे:

- (क) डीडीआरसी भवन का प्रस्तावित स्थान:
 (ख) क्या भवन राज्य सरकार के स्वामित्व में है अथवा किराए पर है
 (ग) निर्मित क्षेत्र
 (घ) कमरों की संख्या:
 (ङ.) क्या आवास विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
 (च) क्या भवन बाधामुक्त है।
 (छ) क्या भवन में दिव्यांगजनों की सुगम्य पहुंच है:
 (ज) क्या पर्याप्त रूप में पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध है:
8. (क) क्या श्रमशक्ति की तैनाती के लिए कदम उठाए गए हैं –
 (ख) यदि हां, ब्यौरे दिए जाएं:
9. क्या डीडीआरसी के नाम से बचत बैंक खाता संयुक्त रूप से परिचालन के लिए खोला गया है।
 हां/नहीं
10. निर्धारित प्रपत्र में बैंक अधिकृत पत्र (अनुबंध-IV)
 में ब्यौरे दिए जाएं:-
- (i) बैंक की शाखा
 (ii) आईएफसीआई कोड
 (iii) एमआईसीआर कोड
 (iv) प्राप्तकर्ता के विवरण के अन्य ब्यौरे जैसे पता, ई-मेल पता आदि
11. पहचान बांड जमा करना (अनुबंध-VI के प्रपत्र के अनुसार)

डीडीआरसी की कार्यान्वित एजेंसी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा

()

जिला मजिस्ट्रेट

राज्य का समाज कल्याण अधिकारी

पूर्व में स्थापित/जिला दिव्यांगता केन्द्रों हेतु दूसरे वर्ष से आगे सहायता अनुदान प्रस्ताव के लिए आवेदन-पत्र ।

1. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर आवंटित विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, यदि पूर्व में पंजीकृत नहीं है तो <http://ngodarpan.gov.in> पर पंजीकरण करें ।
पर पंजीकरण करें ।
2. राज्य और जिले का नाम जहां डीडीआरसी कार्य कर रहे हैं -----
3. (क) क्या जिला प्रबंधन टीम का गठन किया गया है: हां/नहीं
(ख) डीएमटी की पिछली बैठक कब आयोजित की गई -----
(ग) क्या डीएमटी के बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है संलग्न
4. (क) कार्यान्वित एजेंसी के ब्यौरे
(क) एजेंसी का नाम
(ख) पता
(ग) दूरभाष/फैक्स संख्या
(घ) ई-मेल आई डी
(ङ) आईए का पैन/टिन/टैन नं. (कोई एक)
5. क्या एजेंसी पंजीकृत है.
(क) यदि हां, अधिनियम का नाम जिसके तहत पंजीकृत हुई है:
(ख) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख:
(ग) क्या एजेंसी के पास वैध पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र है:
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
6. संस्था के बहिर्नियम और एजेंसी के उप-नियम (बाए लॉज)
(कृपया प्रति संलग्न करें)
7. डीडीआरसी के लिए आवास के ब्यौरे:
(क) डीडीआरसी भवन का प्रस्तावित स्थान:
(ख) क्या भवन राज्य सरकार के स्वामित्व में है अथवा किराए पर है
(ग) निर्मित क्षेत्र
(घ) कमरों की संख्या:
(ङ.) क्या आवास विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

- (च) क्या भवन बाधामुक्त है ।
 (छ) क्या भवन में दिव्यांगजनों की सुगम्य पहुंच है:
 (ज) क्या पर्याप्त रूप में पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध है:

8. क्या डीडीआरसी के नाम से बचत बैंक खाता संयुक्त रूप से परिचालन के लिए खोला गया है।
 हाँ/ नहीं

9. निर्धारित प्रपत्र में बैंक अधिकृत पत्र (अनुबंध-IV)
 में ब्यौरे दिए जाएं:-

- (i) बैंक की शाखा
 (ii) आईएफसीआई कोड
 (iii) एमआईसीआर कोड
 (iv) प्राप्तकर्ता के विवरण के अन्य ब्यौरे जैसे पता, ई-मेल पता आदि

10. डीडीआरसी द्वारा प्राप्त की गई पिछली अनुदान सहायता के ब्यौरे ---

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष के लिए सहायता अनुदान	स्वीकृति-पत्र और तिथि	राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुबंध VI (क) पर सीए द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित खाते

11. पहचान बांड जमा करना (अनुबंध-VI के प्रपत्र के अनुसार)

12. उपलब्ध, उपयोग में लाई गई निधियों और सहायता अनुदान की मांग के ब्यौरे

उप शीर्ष	वित्तीय वर्ष के लिए प्रारम्भिक शेष	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किया अनुदान	वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुदान	अर्धवर्ष के आरम्भ होने तक व्यय	अर्धवर्ष के दौरान व्यय	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय	शेष अवधि के लिए अनुदान की आवश्यकता
उपकरण							
मानदेय							
यात्रा							
आकस्मिक							

व्यय							
------	--	--	--	--	--	--	--

13. पिछले वर्ष की निष्पादन रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए(प्रति अनुबंध-VII के अनुसार)

14. डीडीआरसी के तहत नियुक्त स्टाफ:

क्र.सं.	नाम	योग्यता	नियुक्ति की प्रकृति संविदागत/मानदेय पर/अवैतनिक	नियुक्ति की तिथि	पदनाम	कर्मचारी के आधार कार्ड की संख्या	मानदेय की राशि

15. अन्य स्रोतों से अर्जित/प्राप्त निधियों के ब्यौरे, यदि कोई है:

निधि का स्रोत	वर्तमान वित्तीय वर्ष की तिमाही तक	तिमाही के दौरान	वित्तीय वर्ष के दौरान का जोड़
पंजीकरण के माध्यम से			
दान स्वरूप			
सेवा प्रभार			
अन्य (कृपया उल्लेख किया जाए)			

डीडीआरसी कार्यान्वित एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा

()
जिला मजिस्ट्रेट/राज्य समाज कल्याण अधिकारी

संगठन के बैंक खाते में सीधे सहायता अनुदान राशि भेजने के लिए प्राधिकृत पत्र

मैं/हम(इकाई/सोसायटी/संगठन का नाम) केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सोसायटी/संस्थान/संगठन आदि के बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से अन्तरण की गई संवितरित सहायता अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहते हूँ/है ।

विवरण निम्नानुसार है:-

आदाता-विवरण							बैंक विवरण						
बैंक -खाते में आदाता का नाम	पता	जिला	पिनकोड	राज्य	मोबाइल नं0 जैसा कि गैर सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल में दिया गया है ।	ई-मेल पता जैसा कि गैर-सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर दिया गया है ।	बैंक का नाम	बैंक शाखा (पूरा पता और दूरभाष संख्या	बैंक खाता संख्या	खाते का प्रकार	इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण की सुविधा उपलब्ध है ।	आईएफ एस सी कोड	एमआईसी आर कोड

<p>मेरे द्वारा राशि सत्यापित की गई</p> <p>(प्रबंधक)</p> <p>(खाते का रख-रखाव करने वाली बैंक शाखा)</p> <p>(मुहर)</p>	<p>संगठन का नाम प्राधिकरण की पंजीकरण संख्या और तिथि और पंजीकरण स्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण संख्या और तिथि एनजीओ दर्पण का विशिष्ट पहचान-पत्र टिन/टेन/टैन/पैन नं० अनिवार्य है ।</p> <p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि संगठन द्वारा ऊपर दी गई जानकारी गैर-सरकारी संगठन दर्पण पोर्टल पर प्रदान की गई जानकारी के साथ मेल खाती है ।</p> <p>संगठन का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता — (नाम) (हस्ताक्षर)</p>
---	--

एक डीडीआरसी के लिए दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपकरण

1. फिजियोथेरेपी विभाग

सं .	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	शॉर्टवेव डायथेरमी-कांटेन्यूस – दोनों	1
2.	मोटरयुक्त इंटरमिटेंट सर्वाइकल और लम्बर ट्रेक्शन यूनिट	1
3.	वजन मशीन	1
4.	स्टेटिक साइकिल-ऊपरी और निचली दोनों	1
5.	1. पैराफिन वैक्स यूनिट –बैनमेरी संकलपना (30 किलो क्षमता) 30 किलोग्राम पैराफिन वैक्स के साथ	1
6.	नमी ताप इकाई (हाइड्रोक्लुलेटर) - 8 आयातित पैक के साथ	1
7.	विद्युत उत्तेजक - एलसीडी / दोहरे चैनल युक्त	1
8.	इंटरफेरियनशिल थेरेपी यूनिट - एलसीडी	1
9.	लेजर थेरेपी - 200 एमडब्ल्यू / 2 जांच	1
10	कंधा व्हील - चुंबकीय / एलसीडी	1
11	शीत पैक इकाई - 12 परिवर्तनीय शीत जेल पैक	1
12	कंट्रास्ट बाथ	1
13	अल्ट्रासाउंड यूनिट - 1 और 3 एमएचजेड / एलसीडी	1
14	ओवरहेड पुली	1
15	एंकल व्यायामकर्ता	1
16	प्रोनेटर सुपनीनेटर इकाई	1

2. व्यावसायिक थेरेपी उपकरण विभाग

सं .	उपकरण का नाम	मात्रा
1.	कंधा पहिया	1
2.	इंक्लांड रेत इकाई	1
3.	क्षैतिज सैंडिंग यूनिट	1
4.	वर्टिकल सैंडिंग यूनिट	1
5.	थेरेपी बॉल / फिजियो बॉल (पंप के साथ) (45 सेमी व्यास)	1
6.	थेरेपी बॉल / फिजियो बॉल (75 सेमी व्यास)	
7.	कील	1
8.	सीपी कुर्सी	1
9.	कॉर्नर कुर्सी	1
10.	बोल्स्टर (व्यास 40 सेमी x 120 सेमी लंबा)	1
11.	बहु गतिविधि वर्कस्टेशन	1
12.	एडीएल बोर्ड (बटनिंग-अनबूटनिंग बोर्ड)	1
13.	एडीएल बोर्ड (कुंडी, ताला और कुंजी बोर्ड)	1
14.	रोइंग मशीन	1
15.	चतुशिरस्क व्यायाम मेज	1
16.	जिम क्रिट बॉक्स	1
17.	मशरूम पेग बोर्ड	1
18.	भारित पेग बोर्ड	1
19.	पकड़ अभ्यासक	1
20.	स्पनीनेटर-प्रोनेटर बोर्ड	1

21.	पिरामिड	1
22.	प्रोनेटर -स्पनीनेटर डिवाइस (दीवार पर टंगा हुआ)	1
23.	भारित कफ	2 जोड़े
24.	रोप एंड पुली	1
25.	एंकल एक्सरसाइज (यूनिलेटरल)	1
26.	औषधीय गेंद	1
27.	पोस्चरल प्रशिक्षण दर्पण (फ्रेम के साथ)	1
28.	फुट रॉकर बोर्ड	1
29.	कलाई रोलर	1

3. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विभाग

क्रम सं.	ओ.एच के लिए उपकरणों की सूची	मात्रा
1.	छेदन यंत्र	1
2.	सभी सहायक उपकरण के साथ बेंच ग्राइंडर पूरा	1
3.	बिजली का तंदूर	1
4.	सुपर कार्वर किट	1
5.	आरा (बोश)	1
6.	सिलाई मशीन उपकरण (इलेक्ट्रिक चालक)	1
7.	चमड़ा सिलाई मशीन (इलेक्ट्रिक चालक)	1
8.	बेंच वाइस 6 "और 4"	4
9.	एंविल (50 किलो और 20 किलो)	2
10.	ऑर्थोटिक सेक्शन के लिए विविध हैंड टूल्स	2

11.	प्रोस्टेटिक सेक्शन के लिए विविध हैंड टूल्स	2
12.	चमड़े के पैडिंग और जूते के लिए विविध हाथ उपकरण	2
13.	कार्य मेज 6 x 3 x 32 "	2
14.	मापन मेज 7 x 2-1 / 2x32 "	1
15.	फेब्रिकेशन	1
	कुल	

4. प्रमस्तिष्क घात / क्रोनिकल न्यूरोलॉजी दशाओं के लिए उपकरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	उपचार का उपकरण	1
2	प्रोन वेज	2
3	सिलेंडर	1
4	स्थायी फ्रेम	1
5	प्रोन क्रॉयर	1
6	पारस्परिक वाकर	1
7	समानांतर बार (छोटा आकार)	1
8	कोहनी क्रश (बड़ा)	4
9	कोहनी क्रश (छोटा)	4
10	बीन बैग	1
11	एडीएल ट्रेनिंग बोर्ड डमी इलेक्ट्रिक	1
12	एडीएल प्रशिक्षण बोर्ड भिन्न दरवाजे	1
13	ट्रेसिंग फ्रेम्स (सेट)	3
14	दरवाजा लैच फ्रेम सेट	1
15	एडीएल प्रशिक्षण: बोर्ड - यांत्रिक क्रियाएँ	1

16	कपडा क्लिप	1
17	ट्रेसिंग कौशल के लिए डमी, गतिविधियों को मिलाने के लिए	1 सेट
18	विभिन्न आकार बटन के साथ परिधान	3
19	जूते के फीते बांधन में प्रशिक्षण करने के लिए खिलौने	2
20	रॉकर तल चाकू	2
21	कुंडा चम्मच, बर्तन के साथ अनुकूलित हैंडल (पृथक्कणीय)	2
22	पेन होल्डर	2
23	रिचर्स	2
24	प्लेट गार्ड	2
25	अनुकूली और सहायक उपकरण किट	2
26	पेग बोर्ड	1
27	पाँप मोती	1
28	मिट्टी की लोई	1 बॉक्स
29	छोटे बड़े ब्लॉक	1
30	सिक्का बॉक्स (हुंडी)	2
31	सॉफ्ट बॉल	5
32	हाथ व्यायामकर्ता	1
33	समन्वय इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड	1
34	चुंबकीय पेग बोर्ड	1
35	छोटे बड़े ब्लॉक (स्ट्रोक रोगी के लिए मास ग्रैप में सुधार के लिए)	1
36	निरंतर निष्क्रिय गति (यू / ई) (सीपीएम)	1
37	परीक्षक बोर्ड-आर्म और कंधे	1
38	फिंगर एक्सटेंशन रेमेडियल बोर्ड	1
39	रेत और पानी की मेज	1
40	बॉल्स (टोकरी और वॉली बॉल)	4
41	थेरा बेंड	1 सेट
42	50 छेद वाला लकड़ी का बोर्ड और 20 जंग मुक्त गैल्वेनाइज्ड रॉड के साथ	01

43	टिकाऊ फोम बोर्ड नंबर कार्ड और प्रतीक कार्ड	01
44	6 रंगों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोती (बड़े आकार और छोटे आकार में)	1 सेट
45	परिवेश आदि के शैक्षिक जल रोधक रंग चार्ट	-
46	1 फ्लैश कार्ड धारक (नया डिजाइन) 91	01
47	एजुकेशन पिक्चर्स कार्ड और वर्क कार्ड किट (प्रत्येक किट में 7 जल रोधक पिक्चर्स कार्ड और फोम बोर्ड मेचिंग वर्ल्ड कार्ड) परिवहन, प्लेटाइम, परिवेश के लिए	1 सेट.
48	टीकवुड बेस छोटे, मध्यम, बड़े अंडाकार पर घड़ी के रूप वाली टिकट	1 सेट.
49	विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंगीन आधार पर सब्जियों पर टिकट	1 सेट
50	विशेष आधार पर फल की टिकटें	1 सेट.
51	विशेष आधार पर जंगली जानवरों पर टिकट	1 सेट
52	विशेष आधार पर घरेलू जानवरों पर टिकट	1 सेट .
53	विशेष आधार पर परिवहन पर टिकट	1 सेट.
54	लकड़ी की संख्या पट्टी (1-100) और प्रदर्शन फ़ोल्डर	10
55	संख्या के लिए लकड़ी के शैक्षिक नंबरकार्ड (1-100), प्रतीक इत्यादि	10
56	डे बर्डी (सप्ताह के दिनों को सीखने की पहली)	01
57	विकसित पौधे (पौधे के कुछ हिस्सों को सीखने और वे कैसे बढ़ते हैं)	01
58	हैंडप्रिंट (संख्या 1-5 सीखने के लिए)	01
59	पैरों के निशान (संख्या 11-20 सीखने के लिए)	01
60	सम-विषम बतख (सम-विषम संख्या का परिचय कराने के लिए 1-10)	01
61	रखरखाव किट (सुरक्षित नियंत्रण के लिए सुराख और फीते के साथ 3 आकार में)	01
62	फुटस्टेप्स (सुरक्षित नियंत्रण के लिए सुराख और फीते के साथ 20 आकार में)	01
63	त्यौहार एक कहानी अनुक्रम पहेली (क्रिसमस), त्यौहार एक कहानी अनुक्रम पहेली (दिवाली), महोत्सव एक कहानी अनुक्रम / पहेली	01 01
64	मौसम (साल भर) किट 1.1 गर्मियों के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 कार्य कार्ड,	

	किट 2.1 सर्दियों के रंगीन चार्ट	
65	हम क्या पहनते हैं - कपड़ों के 25 चित्र कार्ड, कपड़ों के 25 शब्द कार्ड, शब्दों के 25 शब्द कार्ड।	1 सेट
66	दैनिक जीवन अनुकूलन किट (मानसिक दिव्यांगों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलित दैनिक जीवन की 22 वस्तुओं के नमूने)	1

5. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार / बौद्धिक दिव्यांगता विभाग

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा
1	लकड़ी के बोर्ड के साथ 59 छेद और 20 जंग मुक्त गैल्वेनाइज्ड रॉड	01
2	टिकाऊ फोम बोर्ड नंबर कार्ड और प्रतीक कार्ड	01
3	6 रंगों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोती (बड़े आकार और छोटे आकार में)	1 सेट
4	परिवेश के शैक्षिक रोधक रंगीनचार्ट	-
5	1 फ्लैश कार्ड धारक (नया डिजाइन)	01
6	शैक्षणिक चित्र कार्ड और कार्य कार्ड किट (7 किट जल रोधक पिक्चर कार्ड और प्रत्येक किट में फोम बोर्ड मिलान करने वाला विश्व कार्ड) जैसे परिवहन, प्लेटाइम, परिवेश	1 सेट
7	टीकवुड बेस-छोटे, मध्यम, बड़े, अंडाकार पर घड़ी के रूप वाली टिकट	1 सेट
8	विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंगीन आधार पर सब्जी पर टिकट	1 सेट
9	विशेष आधार पर फल पर टिकट	1 सेट
10	विशेष आधार पर जंगली जानवरों पर टिकट	1 सेट
11	विशेष आधार पर घरेलू जानवरों पर टिकट	1 सेट
12	विशेष आधार पर परिवहन पर टिकट	1 सेट
13	लकड़ी के नंबर स्ट्रिप्स (1-100) और प्रदर्शित करने के लिए फोल्डर	10
14	लकड़ी के शैक्षिक नंबरकार्ड संख्या के लिए (1-100), प्रतीक इत्यादि।	10
15	डे बर्डी (सप्ताह के दिनों को सीखने के लिए पहेली)	01

16	विकसित पौधे (पौधे के भागों को सीखने के लिए और वे कैसे बढ़ते हैं)	01
17	हैंडप्रिंट्स (संख्या 1-5 सीखने के लिए)	01
18	फुटप्रिंट्स (संख्या 11-20 सीखने के लिए)	01
19	सम और विषम बतख (सम और विषय संख्या 1-10 की जानकारी कराने के लिए)	01
20	लेसिंग किट (सुरक्षित नियंत्रण के लिए फीते और सुराख के साथ 3 आकार वाली)	01
21	फुटस्टेप्स (सुराख सहित 20 आकार वाले और मोटर नियंत्रण के लिए फीते)	01
22	त्यौहार पहेली अनुक्रम में एक कहानी (क्रिसमस)	01
23	मौसम (वर्ष भर) किट 1.1 गर्मी के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 शब्द कार्ड, किट 2.1 सर्दियों के रंगीन चार्ट, 1 धारक, 15 शब्द कार्ड, किट 3.1 बरसात के मौसम के रंगीन कार्ड, 1 धारक, 15 शब्द कार्ड, मौसम किट सभी 3 मौसम प्लस धारक और 45 शब्द कार्ड	1 सेट
24	हम क्या पहनते हैं	1 सेट
25	दैनिक जीवन अनुकूलन किट (मानसिक दिव्यांगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुकूलित दैनिक जीवन की 22 वस्तुओं के नमूने)	1
26	खिलौने (दृश्य, श्रवण और स्पर्श के लिए प्रयोग किए जाने वाले)	10
27	थेरेपी बॉल	1
28	गद्दी	1
29	संतुलन बोर्ड	1
30	कॉमर सीट	1
31	संशोधित कुर्सियां (सकारात्मक और नकारात्मक)	1
32	फ्लिप चार्ट , वाहन, संख्या, सब्जियां, पशु	-
33	सब्जियों, फल, संख्या, पशुओं की शब्द पुस्तिका	-
34	ग्रामीण शिक्षुओं और बच्चों के लिए प्रेरणादायक सामग्री निर्माण के लिए नियमावली	-
35	नृत्य प्रकाश	5 सेट

36	रेडियम स्टिकर	5
37	यूवी लाइट्स	5 सेट
38	दीवार पर पड़ने वाला रंगीन प्रकाश	5
39	लचीली क्रमिक ट्यूब लाइट्स	2 सेट
40	स्टिकर	5
41	बॉल पूल (छोटे प्लास्टिक बॉल्स के साथ)	1
42	सुरंग	1
43	(शरीर मालिश) कंपायमान	5
44	रस्सी की सीढ़ी	1
45	बैलेस बीम	1
46	ट्रेम्पोलिन	1
47	वर्गीकृत स्टूल के साथ वर्गीकृत मेज	1
48	ज्यामितीय आकार क्रॉलिंग फॉर्म	1
49	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -1	1
50	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -2	1
51	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -3	1
52	शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) -किट -4	1
53	कंप्यूटर असिस्टेड निर्देश (सीएआई) पैकेज -7 सीडी- प्रत्येक सीडी रु. 50 / -	1 सेट
54	ग्रेड स्तर आकलन डिवाइस (जीएलएडी)	1
55	व्यवसाय आकलन डिवाइस (जीएलएडी)	1
56	प्रोग्रामिंग के लिए कार्यात्मक आकलन जांचसूची (एफएसीपी)	1
57	मानसिक मंदता ग्रस्त भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन पैमाना (मूल- एमआर) (i) अंग्रेज़ी (ii) हिंदी	1

58	भारतीय बच्चों के लिए मार्लिन का बुद्धिमत्ता पैमाना (एमआईएसआईसी)	1
59	विकास जांच परीक्षण (बीकेटी)	1
60	विनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाना (वीएसएमएस)	1
61	बिनेट-कामत परीक्षण (बीकेटी)	1
62	स्वलीनता के आकलन के लिए भारतीय पैमाना (आईएसएसए)	राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट पर उपलब्ध है
63	लाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल (सीएआरएस)	1

(20/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना)

बंधपत्र

इन बंधपत्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों को यह विदित हो कि राज्य में.....
 कार्यालय में पंजीकरण संख्या दिनांक..... द्वारा (पंजीकरण प्राधिकरण का नाम एवं पूर्ण पता).....के कार्यालय द्वारा पंजीकृत किए जाने पर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत
(पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार संगठन का नाम) संस्था के रूप में हम (यहां इसके पश्चात बाध्यकार/बाध्यताधारी कहा गया) मांग किए जाने पर अविलंब रूप से भारत के राष्ट्रपति (यहां इसके पश्चात सरकार कहा गया) को सही वास्तविक रूप से भुगतान की जाने वालीरु. की राशि (केवल.....रु. शब्दों में) सहित इस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इस पर ब्याज के लिए धारित और दृढ़ता पूर्वक बाध्य हैं। जिसका भुगतान करने के लिए हम इस बंधपत्र के द्वारा स्वयं एवं अपने उत्तराधिकारियों तथा नियुक्त व्यक्तियों का बाध्य करते हैं।

2. वर्ष दो हजार में माह.....केदिन को हस्ताक्षरित.....

3. जबकि बाध्यताकारीगणों ने अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....(एनजीओ को अग्रेषित पत्र की संख्या और तारीख लिखें) द्वारा.....रु. के अनुदान के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार को 10,000 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव भेजा है। बाध्यताकारी इस बांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पक्ष में, 10,000 रुपये की पूरी राशि के लिए अग्रिम रूप से निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं जैसा कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है। बाध्यताकारी प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य राशि को स्वीकार करने का इच्छुक है। बाध्यकर्ता इस अनुबंध के साथ प्रस्तावित राशि का बंधपत्र निष्पादित करने का इच्छुक है कि बाध्यताकारी इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, तक, जो भी कम हो, के लिए बाध्य होंगे। बाध्यताकारी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले "स्वीकृति पत्र" में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करने का भी इच्छुक है।

4. अब उक्त लिखित दायित्व की शर्त ऐसी है कि यदि बाध्यताकारीगण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत रूप से पूर्ण और अनुपालन करते हैं तब उक्त लिखित बंधपत्र निरस्त और अप्रभावी होंगे। अन्यथा यह पूरी सख्ती एवं भावना में कायम रहेगा। यदि अनुदान का कोई भाग उस अवधि की समाप्ति के बाद अव्ययित शेष है, जिसमें यह व्ययित किया जाना आवश्यक है, तो बाध्यताकारीगण 10% (दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अव्ययित शेष को लौटाने के लिए सहमत हैं, जब तक कि इसे अगले वित्त वर्ष के लिए ले जाने की स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है। इस पर अर्जित ब्याज सहित अनुदान राशि वापस लौटाई जाएगी।

5. समिति / न्यास सहमत है और सरकार को ऐसे सभी आर्थिक या अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य को लौटाने / भुगतान करने करने के लिए सहमत एवं वचनबद्ध है जो यह प्राप्त या व्युत्पन्न कर सकती है। संपत्ति / भवन के अनाधिकृत प्रयोग के माध्यम से / द्वारा प्राप्त या व्युत्पन्न की हैं (जैसे कि पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिफल की अपेक्षा कम प्रतिफल पर परिसर किराए पर देना या अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग) सरकारी अनुदान में से अत्यधिक सृजित / अर्जित / निर्मित अन्य संपत्ति सरकार को

लौटाए/भुगतान की जानी उपर्युक्त उल्लिखित आर्थिक कीमत से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं समिति / न्यास पर बाध्यकारी होगा।

6. अनुदानग्राही कार्यकारी समिति के सदस्य

क. स्वीकृति पत्र में निहित की गई लक्षित तारीखों तारीखों तक सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करेगा, और

ख. अनुदान को वापस नहीं करना या योजना या संबंधित कार्य के निष्पादन को अन्य संस्था (एस) या संगठन (एस) को सौंपना, और

ग. सहायता अनुदान को अभिशासित करने वाले करार में निर्दिष्ट अन्य किसी शर्तों का पालन करेगा।

अनुदानग्राही द्वारा बंधपत्र की शर्तों का अनुपालन न करने या शर्तों को तोड़ने के मामले में, बंध पत्र के हस्ताक्षरकर्ता संपूर्ण या अनुदान की शेष राशि इस पर 10% प्रति वर्ष की दर ब्याज सहित भारत के राष्ट्रपति, ब्याज को वापस करने के लिए संयुक्त रूप से एवं प्रमुख रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. यहां उपस्थित व्यक्ति इसके भी साक्षी हैं कि

i. यदि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किन्ही निबंधन एवं शर्तों को तोड़ा या उल्लंघन किया जाता है तो इस मामले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारीगणों पर बाध्यकर होगा, और

ii. इस बंधपत्र पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करेगी, लागत अनुदान से समायोजित की जा सकती है।

बाध्यकारीगणों की ओर से और बाध्यकारीगणों के शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प नीचे दिए अनुसार जिनकी उपस्थिति में यह लेख निष्पादित किया गया है दिनांक * क * अनुसरण में यह उपर्युक्त लिखित दिन को जिसकी एक प्रति **अनुबंध ख** के रूप में यहां भी संलग्न की गई है।

(-----)

के लिए ओर की ओर से हस्ताक्षरित **

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर ***

(पंजीकरण अनुसार बाध्यकारी संस्था का नाम)
पूर्ण डाक पता.....

दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर.....

ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)

फैक्स नंबर

(की उपस्थिति में) साक्षी का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. संस्थान का पंजीकरण संख्या

2. पंजीकरण की तिथि -----

3. पंजीकरण प्राधिकरण (आरए): -----

4. आरए के दूरभाष नंबर / ईमेल, आदि

(i)

(ii)

(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक के लिए स्वीकार किया गया

पदनाम

दिनांक

नाम और पता

* प्रबंधन/कार्यकारी समिति के संकल्प की संख्या और तारीख जिसके तहत संगठन ने अपने बंधपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

** पीआईए का नाम

*** ऐसा बंधपत्र हस्ताक्षर करने के लिए पीआईए के संकल्प द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

वार्षिक (निष्पादन रिपोर्ट : भौतिक)

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम : –

डीडीआरसी का नाम और पता :

शुरुआत का महीना :

लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या : तक

वर्तमान वर्ष तिमाही के दौरान :

- वितरित उपचारात्मक सेवाएं (की गई सर्जरियों को छोड़कर)

वर्ग	पिछले वित्तीय वर्ष तक	चालू वित्त वर्ष के दौरान आ की तारीख में	कुल योग
अस्थिरोग ग्रस्त दिव्यांग			
मानसिक दिव्यांग			
दृष्टि बाधित दिव्यांग			
श्रवण बाधित			
बहु दिव्यांगताएं			
कुल			

- एडिप से संबंधित गतिविधिया:

सहायक उपकरणों का प्रावधान / फिटनेस (उपकरणों की इकाइयों में)	पिछले वित्तीय वर्ष तक	चालू वित्त वर्ष के दौरान	कुल योग
(क) व्हील चेयर			
(ख) ट्राईसाइकिल			
(ग) श्रवण बाधित के लिए हियरिंग डिवाइस			
(घ) दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के लिए यंत्र			
(ङ) कोई अन्य सहायक यंत्र और उपकरण।			
(च) की गई सर्जरियां			
(छ) अंगों की फिटिंग			
कुल			
कोई अन्य अनुवर्ती सेवाएं (सेवाओं की इकाइयों में)			

• प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां – प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।

श्रेणी	पिछले वित्तीय वर्ष तक	कुल (वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान)	कुल योग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता			
एएनएम			
शिक्षकों			
नर्स			
कोई दूसरा			
कुल			

• जन जागरूकता (यात्राओं / कार्यक्रमों की संख्या इंगित करें)

श्रेणी	पिछले वित्तीय वर्ष तक	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान)	कुल योग
स्थानीय भाषा में लिखित सामग्री की तैयारी और मुफ्त वितरण			
रेडियो टॉक			
स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से टीवी कवरेज			
प्रिंट मीडिया में लेखों का प्रकाशन			
स्कूल के दौरे और शिक्षकों / प्रिंसिपल और छात्रों को संबोधित करना।			
दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के साथ बैठक			
गैर दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के साथ बैठक			
स्वयं सहायता समूह			
अन्य लोग			

• रोजगार / सुविधाओं में रियायत

श्रेणी	पिछले वित्तीय वर्ष तक	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान)	कुल योग
स्व नियोजित			
सरकारी / निजी क्षेत्र में नियोजित			
दिव्योग प्रमाण पत्र छूट			
नियमित स्कूल में प्रवेश			

• व्यापक गतिविधियां:

श्रेणी	पिछले वित्तीय वर्ष तक	कुल वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान)	कुल योग
सर्वेक्षण किए गए गांव की संख्या			
आकलन शिविर (शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से)			
फोलोअप शिविर (शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से)			
डीएमटी की बैठकों की संख्या			
कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें			

जीएफआर 12 – ए

[(नियम 238 (1) देखें)]

आवर्ती/गैर-आवर्ती के संबंध में वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान-सहायता/वेतन/पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन

1. योजना का नाम.....
2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान.....
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकदी हाथ में / बैंक
 - (ii) असमायोजित अग्रिम
 - (iii) कुल
4. प्राप्त अनुदानों, किए गए व्यय और समापन शेष राशि का विवरण : (वास्तविक)

प्राप्त वर्षों में अनुदान के अव्ययित शेष [क्र.सं. 3 (iii) में जैसा कि दर्शाया गया है]	उस पर अर्जित ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध निधि (1+2-3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7

			स्वीकृत सं.	दिनांक	राशि			
			(i)	(ii)	(iii)			

अनुदान का घटकवार उपयोग किया गया :

सहायता अनुदान- सामान्य	सहायता अनुदान- वेतन	सहायता-अनुदान- पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	कुल
------------------------	---------------------	---	-----

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकदी हाथ में / बैंक
- (ii) असमायोजित अग्रिम
- (iii) कुल

प्रमाणित किया गया है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी :

- (i) मुख्य लेखे और अन्य सहायक लेखे और रजिस्टर (परिसंपत्तियों के रजिस्ट्रों सहित) का अनुरक्षण संगत अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) में यथा निर्धारित किया गया है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ उपर्युक्त आंकड़े दर्शाए गए हैं।
- (ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के विरुद्ध भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्ति निर्माण आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, ऐसा कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।
- (iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट शब्दों में सौंपा गया है और प्रकृति में सामान्य नहीं है।

(v) लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों/जिलों को शामिल किया गया था जहां योजना को संचालित करने का विचार था।

(vi) योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय प्राधिकृत अनुपात में था।

(vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि (योजना का नाम), के तहत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्राप्त निष्पादन/लक्ष्य विवरण जिसके निधि के उपयोग से अनुबंध-1 में परिणाम दिए गए हैं विधिवत रूप से संलग्न है।

(viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध-11 में दिए गए परिणाम विधिवत रूप से संलग्न किए गए हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने के लिए)।

(ix) एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से एजेंसी द्वारा निष्पादित की गई विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-11 (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने वाले) पर दिया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

संगठन के प्रमुख

हस्ताक्षर

नाम

मुख्य वित्त अधिकारी

(वित्तीय प्रमुख)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

निरीक्षण हेतु प्रपत्र

वर्ष.....के लिए

1 योजना का नाम:

2 निरीक्षण की तिथि:..... समय : _____

3

निरीक्षण अधिकारी का नाम	पदनाम	पता व दूरभाष नं. सहित प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसी	मुहर सहित हस्ताक्षर

6 (i) कार्यान्वयन एजेंसी का पिनकोड (पंजीकृत कार्यालय), दूरभाष नं. :
(एसटीडी कोड सहित), मोबाइल नं., फैक्स और ईमेल तथा

वेबसाइट पता सहित, नाम और पूरा डाक पता:

(ii) परियोजना का स्थान (डीडीआरसी) : आई ए का दूरभाष/ईमेल और :
फैक्स नं. पैन/टीआईएन/टीएएन न. (यदि कोई हो तो)
सहित स्थान का पूरा पता जहां डीडीआरसी लागू की जा रही है।

(iii) संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम सहित नाम :
साथ ही उनका मोबाइल/दूरभाष नं.

(iv) इसके गठन की अधिसूचना के साथ डीएमटी का विवरण :

(v) पिछली डीएमटी बैठक का कार्यवृत्त:

7 (i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास/धारा/कम्पनी अधिनियम :

के तहत संगठन के पंजीकरण की तिथि और वैधता की अवधि

(ii) निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण की तिथि :
और वैधता की अवधि

(iii) नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर विशिष्ट आईडी :

6

(क) परियोजना के शुरू होने की तिथि :

(ख) परियोजना हेतु सहायता अनुदान के प्रारंभ होने :

का वर्ष

17 डीडीआरसी के स्थान का विवरण :

(viii) क्या भवन राज्य सरकार स्वामित्व तहत है या किराए पर:

(ix) यदि किराए पर है, तो उसका विवरण :

(x) क्या परियोजना के संचालन हेतु भवन में पर्याप्त : हां / नहीं
स्थान है?

(xi) निर्मित क्षेत्रफल:

(xii) कमरों की संख्या:

(xiii) क्या स्थान का प्रयोग विशेष रूप से हुए कार्यक्रम
के लिए किया जा रहा है:

(xiv) क्या भवन बाधामुक्त है

18(i) क्या बैंक खातों के संयुक्त संचालन के सिद्धांतों : हां/ नहीं
का अनुपालन किया जा रहा है:

(ii) बैंक प्राधिकृत पत्र में डीडीआरसी के नाम में :

बैंक खाते का विवरण

19 संगठनों के निधि का मूल स्रोत क्या हैं

.....
.....

20 निम्नलिखित जांच बिंदु बनाए गए हैं:-

- 1 इस मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों की प्रविष्टि :
- 2 बैंक खातों में अनुदानों को जमा करना :
- 3 भुगतान किए गए वेतन तथा वेतन के वास्तविक भुगतान की रिकार्डिंग :
- 4 प्राप्तकर्ता के साथ वेतन के भुगतान का समर्थन :

21 (i) गत वर्ष पुनर्वास सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या :

(ii) क्या वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट जमा की गई है :

22 डीडीआरसी के साथ उपलब्ध उपकरण :

23 संगठन का वेबसाइट (यूआरएल) :

24 (i) क्या स्टॉफ योग्यता प्राप्त हैं : हां / नहीं
यदि नहीं तो उसका विवरण

(v) संगठन द्वारा नियुक्त स्टॉफ की संख्या और :
निरीक्षण के दौरान उपस्थित पाए गए स्टॉफ की संख्या

(vi) स्टॉफ को किया गया भुगतान-चेक/ईसीएस/नकद :

(vii) यदि भुगतान नकद में किया गया है, तो उसका कारण :

25 रिकार्ड का रखरखाव: क्या निम्नलिखित रिकार्डों का रखरखाव किया जाता है?

- | | | | |
|-------|------------------------------|---|-----------|
| ix) | रोकड़ पुस्तिका | : | हां /नहीं |
| x) | लेजर | : | हां /नहीं |
| xi) | परिसंपत्तियों का रजिस्टर | : | हां /नहीं |
| xii) | उपभोग्य सामग्री हेतु रजिस्टर | : | हां /नहीं |
| xiii) | मानदेय हेतु भुगतान रजिस्टर | : | हां /नहीं |

26 डीडीआरसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर, यह प्रमाणित करने के लिए उपरोक्त बिंदुओं में दी गई सूचना सही हैं।

हस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित पूरा नाम :

दिनांक:

पदनाम:

स्थान:

कार्यालय का मुहर

27 इस परियोजना के लिए सहायता जारी रखने के संबंध में विशेष संदर्भ/टिप्पणियों सहित निरीक्षण टीम/निरीक्षण अधिकारी की सिफारिश

हस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित पूरा नाम :

दिनांक:

पदनाम:

स्थान:

कार्यालय की मुहर

प्रतिहस्ताक्षर (रबड़ की मुहर सहित):

दिनांक:

पूरा नाम

स्थान:

पदनाम:

कार्यालय की मुहर